E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2022; 4(1): 44-47
Received: 28-11-2021
Accepted: 30-12-2021

डॉ. शान्ती पटेल
अतिथि विद्वान अर्थशास्त्र, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. शान्ती पटेल
अतिथि विद्वान अर्थशास्त्र, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

रीवा जिलाः महिलाओं की उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी के समय बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही ऋण का समीक्षात्मक अध्ययन

डॉ. शान्ती पटेल

सारांश
प्रस्तुत शोध पत्र रीवा जिला : महिलाओं की उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी के समय बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही ऋण का समीक्षात्मक अध्ययन पर आधारित है। शोध क्षेत्र में वस्तुस्थिति ज्ञात करने के लिए 90 महिला उद्यामियों को सम्मिलित किया गया है। रीवा जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से 10–10 महिला उद्यमियों से साक्षात्कार के माध्यम से वस्तुस्थिति ज्ञात की गयी है। महिला उद्यमियों को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण श्रोत माना गया है। वे स्वयं और दूसरो के लिए रोजगार का सृजन करती है। साथ ही प्रबंधन, संगठन और व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं के लिए समाज को समाधान प्रदान करती है। फिर भी भारतीय उद्योग में उन्हें बहुत अधिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। न्यादर्श में चयनित शोध क्षेत्र के 29.17 प्रतिशत ब्यूटीपार्लर, 50.00 प्रतिशत ट्यूशन सेंटर, 44.44 प्रतिशत सौन्दर्य प्रसाधन, 41.67 प्रतिशत किराना, 31.25 प्रतिशत टेलरिंग इकाई के लिए एनजीओ के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है। शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

कुटशब्दः रीवा जिला, रूढ़िवद्ध व्यावसाय, महिला उद्यमी, नीति, चुनौतियाँ

प्रस्तावना
महिलाओं की उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए और देश के विकास और समृद्धि को संभव बनाने के लिए भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी नीतिगत कार्यक्रमों के जरिए महिलाओं को समान अवसर प्रदान किए जाएं। सरकार ऋण, नेटवर्क, बाजार और प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करके महिलाओं को अर्थव्यवस्था की अगली पंक्ति में लाने का प्रयास कर रही है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास संगठन (एमएसएमई–डीओ), विभिन्न राज्य लघु उद्योग विकास निगम (एमएसआईडीसी), राष्ट्रीयकृत बैंक और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) सहित विभिन्न गैर सरकारी संगठन अनेक कार्यक्रम चला रहे है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) भी इन्हीं कार्यक्रमों में से एक है। इसका उद्देश्य उन संभावनाशील महिला उद्यमियों की मदद करना है जिन्हें पर्याप्त शिक्षा या दक्षता हासिल नहीं है। एमएसएमई – डीओ ने कई क्षेत्रों जैसे – टीव्हीं मरम्मत, प्रिटंड सर्किट बोर्ड्स, चमड़े के उत्पाद, स्क्रीन प्रीटिंग इत्यादि में प्रक्रिया उत्पाद आधारित ईडीपी की शुरुआत की है।

महिला उद्यमियों की उपलब्धियों की मान्यता देने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए 'उत्कृष्ट महिला उद्यम' नामक पुरस्कार की शुरुआत भी की गई है। सरकार ने ऐसी अनेक आय अर्जक योजनाएँ शुरू की है जिनका कार्यान्वयन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। मंत्रालय जरूरतमंद महिलाओं को प्रशिक्षण और आय अर्जक गतिविधियों के सहायता प्रदान करता है ताकि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो जाएं।

शासन द्वारा महिला समूहों को ऋण प्रदान करने के लिए ट्रीड कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से इच्छुक महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराता है। महिलाएँ पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से ऋण प्राप्त कर सकती है और प्रस्तावित उद्यमों के लिए परामर्श और प्रशिक्षण भी हासिल कर सकती है ताकि उन्हें गैर कृषि कार्यों के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो।

सरकार द्वारा प्रारंभ मुद्रा योजना उन महिलाओं को व्यक्तिगत स्तर पर मदद प्रदान करती है जो छोटे व्यवसाय जैसे – ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग इकाई, ट्यूशन सेंटर इत्यादि चलाना चाहती है। यह योजना महिला समूहों को भी मदद करती है। इस ऋण के लिए किसी प्रकार की जमानत राशि की आवश्यकता नहीं है और इसके तहत तीन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है–

1. शिशु – इस ऋण की राशि 50000 रुपए तक सीमित है और शुरुआती चरणों में व्यवसायियों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है।

2. किशोर – इसके तहत ऋण राशि 50000 और 5 लाख रुपए के बीच है और इसका लाभी वहीं लोग उठा सकते है जिनके उद्यम पूर्णरूप से स्थापित है।
3. तरुण – इसकी ऋण राशि 10 लाख रुपए है और उन व्यवसायों द्वारा इसका लाभ उठाया जा सकता है जो अच्छी तरह से स्थापित है लेकिन विस्तार के लिए उन्हें और धन की आवश्यकता है।

रीवा जिला मध्यप्रदेश का ऐसा जिला है जहाँ स्वयंसहायता समूहों के व्यापक सहयोग के कारण महिला उद्यमिता और सूक्ष्म उद्यमों का विकास हुआ है। महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए और उन्हें वित्तीय सहायता के साथ पोषित किया। अब भारतीय रिर्जव बैंक (आरबीआई) भी स्वयंसहायता समूहों की भूमिका और वित्तपोषण के महत्व को समझता है और वह नाबार्ड के सहयोग से महिला उद्यमियों को मध्यम आकार का ऋण प्रदान कर रहा है। महिला उद्यमियों को महत्व यह है कि वे अन्य महिलाओं को प्रेरित करती है कि वे आगे आएं और समान अवसरों का लाभ उठाएं साथ ही उद्यमों को बरकरार रखे।

उद्देश्य

- सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से इच्छुक महिलाओं के ऋण उपलब्धता का अध्ययन करना।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता का तुलनात्मक अध्ययन करना।

परिकल्पनाएँ

1. शोध क्षेत्र में सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से इच्छुक महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
2. शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता में सार्थक अन्तर पाया जाता हैं।

शोध समस्या का सीमांकन

प्रस्तुत शोध अध्ययन में रीवा जिला : महिलाओं की उद्यमशीलता और आर्थिक भागीदारी के समय बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही ऋण का समीक्षात्मक अध्ययन करने के लिए 90 महिला उद्यामियों को सम्मिलित किया गया है। रीवा जिले के प्रत्येक विकासखण्ड से 10–10 महिला उद्यमियों से साक्षात्कार के माध्यम से वस्तुस्थिति ज्ञात की गयी है।

अध्ययन विधि

- **सर्वेक्षण अध्ययन विधि :** सर्वेक्षण अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके द्वारा शोध समस्या के विभिन्न पक्षों से सम्बन्धित आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आंकड़े मुख्य तथा वर्तमान स्तर का निर्धारण, वर्तमान स्तर की मान्य स्तर से तुलना, तथा वर्तमान स्तर को विकसित करने में महत्वपूर्ण उपादान होते हैं। सर्वेक्षण में व्यक्ति की अपेक्षा तथ्यों, परिस्थितियों तथा गणनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।
- **साक्षात्कार विधिः** शैक्षिक अनुसंधान में साक्षात्कार विधि का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। इस विधि के द्वारा गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनो प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। इस अनुसंधान में भी शोधार्थी ने साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया है।
- **साख्यिकीय विधिः** सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार विधि से प्राप्त ऑकड़ो का वर्गीकरण एवं सारणीयन किया गया है। जिनकी व्याख्या एवं विष्लेषण हेतु, सांख्यकीय विधियॉ प्रयोग में लाई गयी है। प्रस्तुत शोधकार्य में परिकल्पनाओं का परीक्षण सांख्यकीय विधियों द्वारा करने के लिये– Mean, प्रतिशत (%), S.D., Chisquare test, 't' Test आदि प्रयोग किये गये है, साथ ही गुणात्मक विश्लेषण पर भी ध्यान रखा गया हैं।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय

रीवा जिले का निर्माण सन् 1950 में हुआ था। रियासतों के विलय के पूर्व तक रीवा राज्य उत्तरी एवं दक्षिणी दो जिलों में विभक्त था, जिसमें वर्तमान रीवा, सीधी, शहडोल एवं उमरिया जिले शामिल थे। रीवा जिले में 9 विकासखण्ड है जिनके नाम रीवा, सिरमौर, त्योंथर, रायपुर कर्चुलियान, मऊगंज, गंगेव, जवा, हनुमना एवं नईगढ़ी है। [2]

भौगोलिक स्थितिः रीवा जिला 24°18′–25°12′ उत्तरी अक्षांश तथा 80°20′–81°12′ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है।

जिले की सीमाएँः रीवा जिले के उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा एवं इलाहाबाद जिले, पूर्व–पूवोत्तर में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, दक्षिण में मध्यप्रदेश के सीधी और दक्षिण–पश्चिम में सतना जिले की सीमाएँ लगती है। रीवा जिला का क्षेत्रफल 6314 वर्ग कि.मी. है। [2]

परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या

शोधार्थी द्वारा किया गया कोई भी शोध कार्य सही अर्थों में तभी प्रतिबिम्बित होता है, जब शोधार्थी द्वारा उस समस्या की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाय। इसके लिये यह आवश्यक है, कि शोधार्थी द्वारा शोध अध्ययन में उपयेाग किये गये समस्त शोध उपकरणों द्वारा प्राप्त जानकारियों को व्यवस्थित क्रम में सारणीबद्ध किया जाय, निम्नानुसार है

परिकल्पना क्र. 1: "शोध क्षेत्र में सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से इच्छुक महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।"

तालिका क्रमांक 1: शोध क्षेत्र में सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से इच्छुक महिलाओं के ऋण उपलब्धता का अध्ययन

क्र.	विवरण	संख्या	बैंक द्वारा ऋण प्राप्त			
			एनजीओ के माध्यम से		स्वयं के प्रयास से	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1.	ब्यूटी पार्लर	24	07	29.17	17	70.83
2.	ट्यूशन सेंटर	02	01	50.00	01	50.00
3.	सौन्दर्य प्रसाधन	36	16	44.44	20	55.56
4.	किराना	12	05	41.67	07	58.33
5.	टेलरिंग इकाई	16	05	31.25	11	68.75
	योग	90	34	37.78	56	62.22

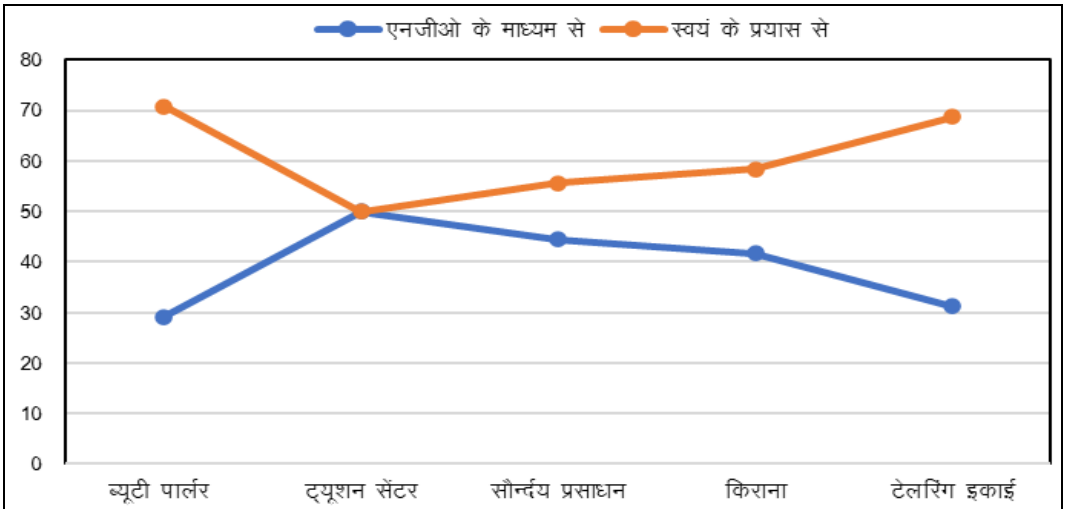

आरेख क्र. 1 : शोध क्षेत्र में सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से इच्छुक महिलाओं के ऋण उपलब्धता का अध्ययन

विश्लेषण एवं व्याख्या

तालिका एवं आरेख क्र. 1 से यह स्पष्ट होता है, कि शोध क्षेत्र के 29.17 प्रतिशत ब्यूटीपार्लर, 50.00 प्रतिशत ट्यूशन सेंटर, 44.44 प्रतिशत सौन्दर्य प्रसाधन, 41.67 प्रतिशत किराना, 31.25 प्रतिशत टेलरिंग इकाई के लिए एनजीओ के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है। शोध क्षेत्र के 70.83 प्रतिशत ब्यूटीपार्लर, 50.00 प्रतिशत ट्यूशन सेंटर, 55.56 प्रतिशत सौन्दर्य प्रसाधन, 58.33 प्रतिशत किराना, 68.75 प्रतिशत टेलरिंग इकाई के लिए एनजीओ के माध्यम से ऋण प्राप्त किया है। शोध क्षेत्र में 62.22 प्रतिशत आज भी स्वयं के प्रयास से बैंक द्वारा ऋण प्राप्त किया है।

तालिका क्रमांक 1: सांख्यिकीय विश्लेषण काई वर्ग की गणना

आवृत्ति	बैंक द्वारा ऋण प्राप्त	
	एनजीओ के माध्यम से	स्वयं के प्रयास से
F_o	34	56
F_e	45.00	45.00
F_o-F_e	-11.00	11.00
$(F_o$-$F_e)^2$	121.00	121.00
$\frac{(F_0 - F_e)^2}{F_e}$	2.69	2.69

$$\chi^2 = \Sigma \frac{(F_0 - F_e)^2}{F_e}$$

$\chi^2 = 5.38$
df = (r-1)(c-1)
df = (2-1)(3-1)
df = 1 x 2
df = 2

विश्लेषण एवं व्याख्या

शोध क्षेत्र में सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से इच्छुक महिलाओं के ऋण उपलब्धता की स्थिति ज्ञात करने के लिए प्राप्त आंकड़ों को काई वर्ग द्वारा विश्लेषित किया गया। गणना द्वारा χ^2 का मान 5.38 है, जबकि तालिकामान 2df पर तथा 0.05 व 0.01 स्तर (level) पर क्रमशः 5.99 व 9.21 है। गणना मान कम होने के कारण सार्थक नहीं है कि शोध क्षेत्र में सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से इच्छुक महिलाओं के ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसका कारण यह कि शासन द्वारा संचालित योजनाओं का सही व्यक्ति को सही समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जिस कारण स्वयं व्यक्तिगत या अन्य माध्यमों से ऋण लेकर उद्यम को स्थापित किया जाता है। अतः परिकल्पना निरसित होती है।

परिकल्पना क्र. 2: "शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता में सार्थक अन्तर पाया जाता है।"

तालिका क्र. 2: शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता का तुलनात्मक अंतर का अध्ययन

समूह		शहरी क्षेत्र की महिला	ग्रामीण क्षेत्र की महिला
समूह की संख्या (N)		45	45
मध्यमान (M)		36.09	5.14
मानक विचलन (SD)		32.11	6.89
क्रान्तिक निष्पत्ति (C.R.)		3.11	
निष्कर्ष	0.05 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	
	0.01 सार्थकता स्तर पर	सार्थक अन्तर है	

विश्लेषण एवं व्याख्या

उपर्युक्त तालिका में शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता का मध्यमान क्रमशः 46.09 तथा 32.11 तथा मानक विचलन क्रमशः 5.14 तथा 6.89 प्राप्त हुआ। दोनों समूहों के मध्यमानों में पाये जाने वाले सार्थकता की जाँच के लिए क्रान्तिक अनुपात परीक्षण (C.R. Test) किया गया, जिसमें CR का मान 3.11 प्राप्त हुआ जो 0.05 सार्थकता स्तर के मान 1.96 तथा 0.01 सार्थकता स्तर के मान 2.58 से अधिक है। अतः दोनों समूहों के ऋण की उपलब्धता में सार्थक अन्तर पाया गया। अतः उपरोक्त के आधार पर यह तथ्य सामने आता है कि शोध क्षेत्र के शहरी क्षेत्र की महिला उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता में मध्यमान अधिक है। इसका कारण शहरी क्षेत्रों में जागरुकता के कारण ग्रामीण क्षेत्र से आगे रहती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता में सार्थक अन्तर पाया जाता है। यह परिकल्पना के संगत है। अतः परिकल्पना सत्यापित होती है।

निष्कर्ष

1. शासन द्वारा संचालित योजनाओं का सही व्यक्ति को सही समय पर योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है जिस कारण स्वयं व्यक्तिगत या अन्य माध्यमों से ऋण लेकर उद्यम को स्थापित किया जाता है।
2. शोध क्षेत्र के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की महिला उद्यमियों को ऋण की उपलब्धता में सार्थक अन्तर पाया जाता है।

सन्दर्भ ग्रंथ

1. जनगणना वर्ष 2011.
2. अग्निहोत्री, रामप्यारे – "रीवा राज्य का इतिहास" साहित्य परिषद, भोपाल, 1972.
3. मध्यप्रदेश के जिलेवार समाजार्थिक विकास संकेतक, 2014–15–2015–16, 121.
4. मध्यप्रदेश का सांख्यिकीय संक्षेप, 2016, 576.
5. उद्यमिता – विकास केन्द्र (म.प्र.) भोपाल, अप्रैल 1998, 60 जेल रोड जहॉगीरावाद भोपाल, 1997.
6. योजना – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पटियाला हाउस नई दिल्ली, 2018.